

नई शिक्षा नीती २०२० :- मुद्दे तथा चुनौतियाँ**डॉ. बाबुदास साधुराम दमाहे**

श्रीमती सुग्रता वंजारी महिला

महाविद्यालय , वडोदा ता—कामठी

जि—नागपुर

babudas.damahe@gmail.com

8605955517

प्रस्तावना

समय के साथ बदलाव यह प्रकृति का नियम है। गुजरा हुआ कल की आवश्यकताओं के आधार पर बनाये गये नियम नीति तथा योजनाएँ, उन्हे पुरा करने में सक्षम होते हैं। परंतु जैसे-जैसे समाज व समाज के साथ-साथ देश और दुनिया का विकास होता है उसी प्रकार परिस्थिति बदलती है। और परिस्थितिनुरूप आवश्यकताये , और उस आवश्यकताओं को पुरा करने के लिये नई योजनायें बनाये जाते हैं । नई योजनाओं को पुरा करने के लिए नई तकनिकि की जरूरत होती है। और नई तकनिकि को समझने व सिखने के लिए नई शिक्षा नीती की आवश्यकता होती है। इसी तर्ज पर भारत में भी स्वतंत्रता के बाद से आवश्यकतानुसार शिक्षा नीती में बदलाव कर विभिन्न कालखण्ड में अलग-अलग शिक्षा नीती तैयार की गई।

भारतीय सविधान के चौथे भाग में लिखित नीती निम्न एक तत्वों में कहा गया है, कि प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय । १९४८ में डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा —प्रणाली को व्यवस्थित करने का कामशुरु हो गया ।

१९५२ में लक्ष्मनस्वामी मुदलीयार की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा १९६४ में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंशाओं के आधार पर १९६८ में शिक्षा नीती पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल युवक-युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया।

मई १९८६ में स्वतंत्र भारत में पहली बार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीती लागू की गई, जो अब चल रही है। इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीती की समीक्षा के लिए १९९० में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा १९९३ में प्रो. यशपाल समिति का गठन किया गया ।

नई शिक्षा नीती २०२०

नई शिक्षा के नीती २०२० जिसे वर्तमान भारत सरकार द्वारा ३४ वर्ष बाद २९ जुलाई २०२० को घोषित किया गया । सन १९८६ के शिक्षा नीती के बाद भारत की शिक्षा नीती में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीती अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता वाली समीती की रिपोर्ट पर आधारित है।

नई शिक्षा नीती २०२० यह वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया । इस नीती के अंतर्गत अध्यापन क्रिया में क्षेत्रिय भाषा पर बल दिया गया है साथ ही व्यक्तिगत गुण कौशल,

व्यक्तिमत्त्व विकास जिसमें कि, छात्र सिर्फ नौकरशाही के लिये नहीं, अपितु स्वयं रोजगार के लिए अपने आपको तैयार करें।

संशोधन पद्धति

संबंधित शोध निबंध को पुरा करने के लिए विवरणात्मक संशोधन पद्धति का उपयोग किया गया है।

स्रोत

संबंधित निबंध को पूर्णरूप देने हेतु जानकारी विभिन्न पुस्तकें, मासिके, दैनिक समाचार पत्र तथा संकेत स्थान का उपयोग किया गया है।

शोध निबंध के उद्देश

- नई शिक्षा नीति का उच्च शिक्षण क्षेत्र में प्रभाव का पता लगाना।
- नई शिक्षा नीति का मुल्यांकन करना।
- नई शिक्षा नीति को प्रभावित करनेवाले घटकों का पता लगाना।
- नई शिक्षा नीति के में आनेवाले समस्याओं का पता लगाना।
- नई शिक्षा नीति के पुरा करने हेतु आर्थिक घटक का पता लगाना।

परिकल्पना

- नई शिक्षा नीति यह उच्च शिक्षा क्षेत्र में धनात्मक प्रभाव डालता है।
- नई शिक्षा नीति यह भविष्य में अच्छा परिणाम देगा।
- नई शिक्षा नीति को सामाजिक तथा राजकीय घटक प्रभावित करते हैं।
- नई शिक्षा नीति को पुरा करने में अनेक समस्याएं आने की संभावना है।
- नई शिक्षा नीति को आर्थिक घटक प्रभावित करता है।

नई शिक्षा नीति २०२०

नई शिक्षा नीति २०२० की कुछ प्रमुख मुद्दे निम्न प्रकार से हैं।

शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, संस्थागत सहयोग तथा छात्र और संकाय गतिशीलता के माध्यम से किया जायेगा शीर्ष विश्व रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों को परिसर खोलने की अनुमति दी जाएगी

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान

मुलभुत साक्षरता और मूल्य आधारित शिक्षा के साथ संख्यात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिये प्राथमिकता पर एक राष्ट्रीय साक्षरता और संख्यात्मकता मिशन स्थापित किया जाएगा। कक्षा १-३ में प्रारंभिक भाषा और गणित पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। NEP २०२० का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कक्षा ३ तक प्रत्येक विद्यार्थी को २०२५ तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए। मस्तिष्क विकास और अधिगम सिद्धांतों के आधार पर स्कूली शिक्षा के लिए एक नई विकासयुक्त पाठ्यचर्या और त्रैशुनिक संरचना ५+३+३+४ डिजाइन पर विकसित की गई है।

बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर जोर

कम से कम कक्षा तक लेकिन कक्षा आठ और उसमें आगे तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानिक भाषा / क्षेत्रीय भाषा होगी।

उच्चतर शिक्षा

उच्चतर शिक्षा में वर्ष २०३५ तक सफल नामांकन अनुपात बढ़ाकर कमसे कम ५० प्रतिशत तक पहुंचाना

समग्र बहुविषयक शिक्षा नीति

इस नीति में विज्ञान, कला, मानविकी, गणित और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए एकीकृत और श्रमसाध्य ज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर एक व्यापक व बहु-अनुशासनिक समग्र कला शिक्षा की परिकल्पना की गई है। इसके कल्पनाशील और लचीली पाठ्य संरचना अध्ययन का रचनात्मक संयोजन व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण के साथ कई प्रवेश/निकास हेतु अनेक अवसर उपलब्ध होंगे।

अभिशासन

प्रत्यायन के आधार पर संस्थागत शासन की शैक्षणिक प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता परिकल्पित है जिसके प्रत्येक उच्चशिक्षा संस्थान में एक स्वतंत्र शासक बोर्ड होगा।

विनियमन

उच्चतर शिक्षा की प्रगति हेतु एक व्यापक सर्व समावेशी (अम्ब्रेला) निकाय होगा जिसके अंतर्गत मानक स्थापन, वित्तपोषण, प्रत्यायन और विनियम के लिए स्वतंत्र इकाईयों की स्थापना की जाएगी। हित के टकराव को समाप्त करने के लिए व वित्तीय सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक प्रकल्प सुनिश्चित करने हेतु विनियमन होगा जिसके निरीक्षक शासन के बजाय पारदर्शी आत्म प्रकटीकरण एक मानक होगा। विनियामक नियम प्रौद्योगिकी के माध्यम से फैसेल सविनियमन का कार्य करेगा और उसके पास मापदंड अथवा मानकों के विपरित संचालित उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाई करने की शक्तिया प्राप्त होगी। सार्वजनिक और निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर नियमन प्रत्यायन फंडिंग व शैक्षणिक मानकों संबंधी मापदंड समान रूप से लागू होगा।

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का विस्तार किया जाएगा जिसके माध्यम से सफल नामांकन अनुपातों को ५० प्रतिशत तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। ऑनलाइन कोर्स एवं डिजिटल रिपॉजिटरी अनुसंधान के लिए वित्तपोषण, बेहतर छात्र सेवाओं, मूक की क्रेडिट आधारित मान्यता आदि उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जायेगा कि यह भी उच्चतम गुणवत्ता वाले नियमित कक्षा आधारित कार्यक्रमों के समान हो।

व्यावसायिक शिक्षा

सभी प्रकार के व्यवसायिक शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होगी। एकल तकनीकी स्वास्थ्य विज्ञान विधि और कृषि विश्व विद्यालय अथवा अन्य विषयों के विश्वविद्यालय बहुविषयक संस्थान बनने का लक्ष्य रखेंगे। वोकेशनल शिक्षा समस्त प्रकार की शिक्षा का एक अभिन्न अंग होगी। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य वर्ष २०२५ तक ५० प्रतिशत छात्रों को वोकेशनल शिक्षा प्रदान करना है।

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन

अनुसंधान और नवाचार को उत्प्रेरित और विस्तारित करने के लिए देश भर में एक नई इकाई स्थापित की जाएगी।

शिक्षा में प्रौद्योगिकी अधिगम मुल्यांकन योजना और प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग व विचारों के निःशुल्क आदान प्रदान हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय प्रदान किया जायेगा। कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार शिक्षकों के व्यवसायिक विकास का समर्थन, वंचित समूहों के लिए

शैक्षणिक पहुँच बढ़ाने और शैक्षणिक योजना, प्रशासन तथा प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का उपयुक्त एकीकरण किया जाएगा।

नई शिक्षा नीति २०२० के उद्देश

- शिक्षा कि पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय, शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना है।
- छात्रों के आवश्यक कौशल एवं ज्ञान से परिपूर्ण करना और विज्ञान, टेक्नालॉजी, अकादमिक क्षेत्र और इंडस्ट्री में कुशल लोगों की कमी को दूर करते हुए देश का ज्ञान आधारित सुपर पावर के रूप में स्थापित करना है।
- शिक्षा कि नीति को छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना।
- भाषाई बाधकताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल देना।

उच्च शिक्षा आयोग

- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को संपूर्ण उच्च शिक्षा के सर्वोच्च निकाय के रूप में किया जायेगा। इतमे मेडिकल और कानूनी शिक्षा को सामिल नही किया जाएगा।
- वर्ष २०४० तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों का उद्देश अपने आप को बहू-विषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा।
- वर्ष २०३० तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम-से-कम एक बड़ा बहू-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थानों स्थापित किया जायेगा।
- के कार्यों के प्रभावी प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिये चार विकासों का निर्धारण किया गया है।
- HECI के कार्यों के प्रभावी प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिये चार विकासों का निर्धारण किया गया है।
- विनियम हेतु— राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद।
- मानांक निर्धारण सामान्य शिक्षा परिषद।
- वित्त-पोषण —उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग परिषद।
- प्रत्यायन— राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद।

अनुसंधान

- नई शिक्षा नीति में एम. फिल (M.PHIL) को समाप्त किया जायेगा।
- पी. एच. डी के लिए ४ वर्षीय ग्रेजुएशन फिर एम.ए. उसके बाद एम.फिल कि अनिवार्यता समाप्त कर दी जायेगी।
- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) राष्ट्र में गुणवत्तपूर्ण अनुसंधान को सही रूप में उत्प्रेरित और विकसित करने के लिए तथा सभी प्रकार के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों पर नियंत्रण रखने के लिए का गठन।

निष्कर्ष

शोध संबंध के उपरोक्त विभिन्न पहलूओं का अवलोकन करने पर निम्न प्रकार से निष्कर्ष सामने आया है।

- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा क्षेत्र में जो परिवर्तन कि बात कही गई है सराहनिय है परंतु उसे वास्तविक रूप देने के लिए विभिन्न शासकिय तथा शैक्षणिक संस्थानों में एक सुत्रता लाना अति आवश्यक है। यदि हम विभिन्न संस्थाओं के मध्य तालमेल नहीं बैठा पाए तो उपरोक्त उद्देश को प्राप्त करना एक सपना ही रह जाएगा।
- नई शिक्षा नीति यह स्कुलि स्तर से तो उच्चतर शिक्षा स्तर तक छात्रों तथा शैक्षणिक संस्थानों को मुल्यांकन पद्धति योग्य रूप से तभी संभव है जब नई शिक्षा नीति में संकायों के आवश्यक विभागों का तालमेल अर्थात विभिन्न कौशल्य विकास में सहायक तंत्र तथा विभाग एकत्रित हो। यदि कौशल्य विकास से संबंधित कुछ घटक का अभाव है, या प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है तो हम उपरोक्त लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वर्तमान में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (B.Ed, D.Ed) में सिखाये जानेवाले अध्यापन पद्धति या सिलेबस उससे अलग है जो कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत दिया गया है
- नई शिक्षा नीति को सामाजिक राजनितिक, वित्तीय तथा भौगोलिक ऐसे विभिन्न घटक प्रभावित करते हैं। नई शिक्षा नीति को पुरा करने में जब तक उपरोक्त घटक सहयोगी नहीं होंगे तब तक NEP 2020 का उद्देश पुरा नहीं हो पायेगा। नई शिक्षा नीति यह केंद्र सरकार द्वारा है। उठाया गया एक सराहनिय कदम है, परंतु जब तक देश के राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में सहयोग नहीं करेंगे तब तक उसे वास्तविक स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकेगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अपने बच्चों को योग्य शिक्षा देने के लिए खर्च अधिक लगेगा जिसे वहन करना सभी पालकों के लिए संभव नहीं है। जब तक कि खर्च, सरकार द्वारा नहीं किया जाता। नई शिक्षा नीति के तहत देश के प्रत्येक जिल्हा स्तर पर एक बहु-विषयक संस्थान शुरू करने का निर्णय लिया गया है, परंतु यह तभी संभव है, जब देश के ऐसे भौगोलिक क्षेत्र का विकास किया जाय, जहां अभी तक विकास की कोई निव ही नहीं रखी गई है।
- नई शिक्षा नीति को पुरा होने में प्रमुख समस्याये विचारों का है। भारत जैसे देश में नविनिकरण का अक्सर विरोध किया गया है। क्यों कि नविनिकरण द्वारा होने वाले फायदे को न देखते हुये, उसके उपर उंगली उठानेवालो की कमी नहीं होती। इसका प्रमुख कारण लोगों में तथ्य को समझने से ज्यादा, राजनीति करने की प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है। और जब तक देश में राजकिय गलियारों में पक्ष और विपक्ष एकमत नहीं होंगे तब तक कोई भी योजना का सफल होना एक मिल का पत्थर ही साबित होगा।
- नई शिक्षा नीति को अमल में लाने के लिए आर्थिक घट महत्वपूर्ण है। जिसके लिए NEP2020 में विनिमय को बढ़ावा देने की बात कही गयी है। शिक्षा क्षेत्र में निजि विनियोग बढ़ाकर हम वित्तपो ण कर सकते हैं। परंतु यह तभी योग्य होगा जब सरकार के नियंत्रण में हो, यदि नहीं तो शिक्षा का निजिकरण होने में देर नहीं लगेगा, और शिक्षा का निजिकरण हो जायेगा तो सामाजिक परिस्थित बहुत ज्यादा प्रभावित होगी और हमारा उद्देश, देश के सभी वर्ग को शिक्षित

करने का सपना, एक सपना ही रह जायेगा। नीति के अंतर्गत देश के कुल GDP का ६ प्रतिशत योगदान देने की बात कही गई है, वह सराहनिसय है परंतु तभी लाभकारी है जब वह जमिन स्तर पर दिखे।

सुचना

- नई शिक्षा नीति का अमल में लाने हेतु शिक्षण क्षेत्र से संबंधित विभिन्न संस्थाओं को विश्वास में लिया जाना आवश्यक है।
- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मुल्यांकन पद्धति में तालमेल बिठाना आवश्यक है। तथा मुल्यांकन पद्धति में पारदर्शिता लाना आवश्यक है।
- नई शिक्षा नीति का उद्देश्य पुरा करने के लिए विभिन्न घटकों जैसे: राजकिय, सामाजिक घटकों में सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है।
- नई शिक्षा नीति को योग्य रूप से संचालित करने हेतु संबंधित पक्ष तथा विभागों को विश्वास में लेना आवश्यक है।
- नई शिक्षा नीति को क्रियात्मक करने हेतु योग्य वित्त व्यवस्था और उसका योग्य उपयोग आवश्यक है।

संदर्भ

- नई शिक्षा नीति पर निबंध www.hindikiduniya.com
- <https://motivational.page/new-education-policy-in-hindi>
- नई शिक्षा नीति पर निबंध 2020 <https://hindijankari-innew-shiksha0neeti-nibandh-essay-education=policy>
- नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं www.jansatta.com
- New National Education Policy 2020 PDF : नई शिक्षा नीति क्या है? का बढ़ावा नाम-----hindi.careeindia.com
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 hindi.rajras.in/nayi-rajras
- विश्व शब्दकोष , वर्तमानपत्र नवभारत, लोकमत समाचार